बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::अधिसूचना::—

अधिसूचना संख्या—2/अ०प्र०1—111/22— 6846 पटना, दिनांक 30.6.25

श्री अखिलेश्वर प्रसाद, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर से कार्य प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत निर्मित Sarenja Narayanpur road to Basudhar Harijan Toli Babua Dera (BR08R234) पथ के संदर्भ में अधीक्षण अभियंता, राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन दिनांक 31.12.2022 के आलोक में पथ को Over all Grading SRI (satisfactory but Required Improvement) प्रदान किये जाने के आरोप पर विभागीय पत्रांक—89 अनु0 दिनांक—10.01.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक—13.01.2023 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए इनके विरूद्ध उक्त आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर संकल्प ज्ञापांक—846—सह— पठित ज्ञापांक 846 अनु0 दिनांक—27.04.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसके निमित्त मो0 खलीकुज्जमा, मुख्य अभियंता—1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता—1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. मो0 खलीकुज्जमा, मुख्य अभियंता—1—सह—संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—397 अनु0 दिनांक—30.01.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित सभी आरोपो को अप्रमाणित पाया गया।

4. जाँच प्रतिवेदन पर अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया। अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव द्वारा श्री प्रसाद के बचाव स्पष्टीकरण को स्वीकारात्मक माने जाने का मंतव्य दिया गया है।

5. जॉच प्रतिवेदन में आरोप को अप्रमाणित पाये जाने एवं अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के मंतव्य के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद को प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अखिलेश्वर प्रसाद, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/6/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–1–111/2022 6867 /पटना/दिनांकः– 30.6.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री अखिलेश्वर प्रसाद, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–111/2022 6867 /पटना, दिनांक :– 30.6.25

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय विभागीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

30/6/25

अवर सचिव